90

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE

सुदर्शन पिता बन्दी साहू सा0 पुर्वा, तह0 देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

R 5014-III/17

................*निगरानीकर्ता*

बनाम

1. बलीराम तनय गोविंद साहू
2. अहिवरणर तनय गोविंद साहू
3. रमेश तनय बलीराम साहू
4. सुरेश तनय बलीराम साहू
5. राजेश तनय बलीराम साहू
6. बाबा उर्फ शिवकुमार साहू तनय अहिवरण साहू
7. ललुआ उर्फ शेषमणि साहू तनय अहिवरण साहू

सभी निवासी ग्राम पुर्वा, तह0 देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

..................*गैर निगरानीकर्तागण*

अधि0 श्री आर.एन. साहू द्वारा पेश किया गया। 13-1-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार प्रभारी क्षेत्र गिर्द तह0 देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0) के प्र.क. 10/अ–70/16–17 आदेश दि. 31.12.16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विरुद्ध होने से काबिल निरस्त योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई गौर नहीं किया कि निगरानीकर्ता ने जो अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन–पत्र दिया था उस आवेदन–पत्र का विधिवत् मौके में जांच करवानी चाहिए थी तथा मौका की स्थिति को देखते हुए जब तक प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक स्थगन आदेश जारी रखना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर निगरानीकर्ता का स्थगन आदेश निरस्त कर जो कानूनी भूल की है वह काबिल निरस्त योग्य है।

सुदर्शन साहू

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण कमांक R. 5014-दो/17 जिला– सिंगरौली

पक्षकार का नाम सुदर्शन साहू / बलीराम साहू वगैरा

(1)	(2)	(3)
28.12.17	प्रकरण प्रस्तुत । 2–आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 3– आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	